फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम [illegible]

सुरजीत बनाम राज0 सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
7/12/20	पत्रावली पेश। वकील वादी उप0। प्रकरण दर्ज रजि0 हो। प्रतिवादीगण को सम्मन तलवाना जावे हो। बाद तलबी दिनांक 14/12/20 को पेश हो। [signature]	
14/12/20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप0। तहसीलदार गोविन्दगढ़ को तहरीर जारी हो कि आ0 ख0 नं0 383/347 वाके ग्राम बाबत चौगडी में प्रार्थी की जाति की जांच रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट दिनांक 21-12-20 को पेश हो।	
21/12/20	पत्रावली पेश। व0 वा0 उप0। वास्ते इन्तजार T.D.R रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 28/12/20 को पेश हो। [signature]	
28/12/20	आज यह पत्रावली पेश हुई। आज बार एसोसियेशन ने कार्य स्थगित कर रखा है P. O. साहब भ्रमण पर हैं। पत्रावली दिनांक 15/4/21 को पेश हो। [signature]	
15/4/21	[illegible] M.O.S.I. [illegible] दिनांक 24/8/21 को पेश हो। [signature]	

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय...मुकाम...
....बनाम...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
18/4/22	वकील वादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अव०/ बाहर रहे पत्रावली दिनांक 26.4.22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
26/4/22	वकील वादी उपस्थित। पी०ओ० साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 14.5.22 लोकअदा० हो	
14/5/22	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज रजिस्टर हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) राज० सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखन सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़

मुकदमा संख्या : 1/124/2021 ता0 रजू : 15.11.2021 तारीख निर्णय :14.05.2022

बउनवान मुकद्मा

1. गुरमीत सिंह पुत्र चोदर सिंह जाति रायसिख निवासी बासदौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर

................वादी

बनाम

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़, जिला अलवर

......................प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० अधि० नियम

//निर्णय// दिनांक 14.05.2022

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि खाता संख्या 72 दर्ज आराजीयात वाके ग्राम बास दौंगडी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है।जो आराजी वादी व पिता चौदरसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त खाते में वादी की जाति रायसिख की जगह सिख दर्ज हो रही है। जिससे उक्त आराजी को दावा हाजा में आराजी मुतनाजा के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वादी के भाई जगीरसिंह पुत्र चोदरसिंह के खाता संख्या 82, प्रेमसिंह पुत्र के खाता संख्या 115 प्रकाश सिंह पुत्र चोदरसिंह के खाता संख्या 113 एवं वादी की भाभी प्रकाशकोर पत्नी जगीरसिंह का खाता सख्या 112 वाके ग्राम बौगड़ी में उनकी जाति रायसिख दर्ज है। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब पेश किया कि सम्वत् 2070–73 के खाता सं० 72 में वाके बास दौंगड़ी के ख० नं० 383/347 रकबा 0.8100 है0 जिसमें गुरमीत सिंह पुत्र चौदर सिंह जाति सिख दर्ज रेकॉर्ड है एवं पूर्व जमाबन्दी वाके बास दौंगड़ी सम्वत् 2033–36 खाता सं० 41 में ख०नं० 344, 345, 346, 347, 348 में गुरमी के पिता, चौदर सिंह पुत्र वरियाम सिंह जाति सिख गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इसी क्रम में सम्वत् 2037–40 सम्वत् 2043–46 खाता सं० सवत् 2046–49 व जमाबन्दी सम्वत् 2050–53 में चौदरसिंह पुत्र वरियाम सिंह सिख सा० देह खातेदार दर्ज रेकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़(अलवर)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली व संलग्नक दस्तावेजात् ध्यानपूर्वक व गहनतापूर्वक मनन किया। अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व रेकॉर्ड में वादी की जाति रायसिख दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

—:आदेश:—

वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश दिये जाते है कि जमाबंदी संवत 2070—75 ग्राम बारा दौंगडी के खसरा न0 383/347, में वादी गुरमीत एवं आराजी ख0न0 348/1, 364, 349/3, 381/345, 387/348, में वादी के पिता चोदरसिंह की जाति सिख के स्थान पर रायसिख दर्ज की जावे। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिकी जारी हो।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

आज दिनांक 14.05.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखन सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़

मुकदमा संख्या : 1/124/2021 ता0 रजू : 15.11.2021 तारीख निर्णय :14.05.2022

बउनवान मुकद्मा

1. गुरमीत सिंह पुत्र चोदर सिंह जाति रायसिख निवासी बासदौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर
...............वादी

बनाम

1. राज॰ सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़, जिला अलवर

.....................प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.

—:पर्चा डिक्री:—

वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश दिये जाते है कि जमाबंदी संवत 2070—75 ग्राम बास दौंगडी के खसरा न0 383/347, में वादी गुरमीत एवं आराजी ख0न0 348/1, 364, 349/3, 381/345, 387/348, में वादी के पिता चोदरसिंह की जाति सिख के स्थान पर रायसिख दर्ज की जावे। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

आज दिनांक 14.05.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

Scanned with CamScanner